समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक Ap 1242-I-16 **/2015–16**

आवेदक : राकेश मेहानी, आत्मज भोजराज मेहानी, निवासी–शांति नगर, कटनी, तहसील व जिला कटनी (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदक : म.प्र. शासन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता, 1959

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 580/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2013 एवं विचारण न्यायालय कलेक्टर कटनी द्वारा प्रकरण कमांक 230/बी–121/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2010 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधार पर प्रस्तुत करता है:–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, आवेदक शांति नगर, कटनी, तहसील व जिला कटनी (म.प्र.) का स्थाई निवासी है ।

2. यह कि, ग्राम गुलवारा, प.ह.नं. 46/31, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 1322/1 रकवा 0.60 हे. राजस्व अभिलेखों में जूजू वाल्मीक वल्द धूमा वाल्मीक के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज थी ।

3. यह कि, उक्त प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखों में वर्ष 2007–08 तक जूजू वाल्मीक वल्द धूमा वाल्मीक का नाम भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज था ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1242/एक/2016 जिला–कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
5-5-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा एडीशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 580/बी–121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 19.03.2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं प्रस्तुत की गई अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अपने भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि जोकि ग्राम गुलवारा प.ह.न 46/31 तहसील व जिला कटनी में स्थित खसरा नं. 1322/1 रकवा 0.60 है0, स्थित है। जिसमें से रकवा 0.44 है0 भूमि आवेदक राकेश मेहानी को विक्रय कर दी गयी है उक्त भूमि का कुछ भाग 0.16 सड़क में जाने के कारण भू–अर्जन अधिकारी द्वारा भू–अर्जन का मुआवजा दिया गया है किन्तु विक्रित भूमि का नामान्तरण नही किया जा रहा है उक्त भूमि के विक्रय पश्चात् अनुमति देते हुये शासकीय अभिलेखो में क्रेता का नाम दर्ज किया जाये इस संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत होने	

पर प्रतिवेदन तलब किया गया कि उक्त खसरा नं. की भूमि वर्तमान में जूजू बाल्मीक पुत्र घूमा बाल्मीक ने कलेक्टर की बिना अनुमति आदेश के पंजीयन कर आवेदक को विक्रय कर दिया है जो धारा 165 (7)(ख) का उल्लंघन हैं उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अतिरिक्त कलेक्टर जिला कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 230/बी–121/2009–10 के रूप में दर्ज किया जाकर प्रकरण का अंतिम निराकरण आदेश दिनांक 10.08.2010 से कर दिया गया। इसके पश्चात् आवेदक द्वारा अपील एडीशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर को प्रकरण क्रमांक 888/बी–121/2011–12 प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 11.12.2012 को निरस्त कर दी गयी इसके बाद पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो आदेश दिनांक 19.03.2013 से निरस्त कर दिया गया इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अभिलेख से स्पष्ट है कि जूजू बाल्मीक पुत्र घूमा बाल्मीक को वर्ष 1996 में उक्त खसरा नं की भूमि पट्टे पर प्रदान की गयी थी तथा जूजू बाल्मीक पुत्र घूमा बाल्मीक का नाम राजस्व अभिलेखो में विधिवत् रूप से भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया गया था। आवेदक जूजू बाल्मीक पुत्र घूमा बाल्मीक आदिवासी वर्ग के नहीं है अतः विक्रय व्यवहार के पूर्व कलेक्टर

की अनुमति के आवश्यकता नही है अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त भूमि को अहस्तांतरणीय लिखे जाने का आदेश पारित किया है जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किये जाने एवं राजस्व अभिलेखो अहस्तांतरणीय शब्द हटाये जाने के आदेश के साथ साथ प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखो में आवेदक का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

5- अनावेदक की ओर से अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय एडीशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण में जो आदेश पारित किया गया है वह विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6- यह सही है कि एडिशनल कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर आदेश दिनांक 19.03.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी वर्ष 2016 में प्रस्तुत की गयी है परन्तु आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र देकर बताया गया कि अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश की जानकारी आवेदक को नहीं दी गयी तथा आवेदक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है ऐसी स्थिति में उसे आदेश की जानकारी तद् समय नहीं हुयी जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 22.03.2013 को प्रस्तुत किया एवं नकल दिनांक 26.03.2013 को प्राप्त हुयी किन्तु अभिभाषक फीस के बंदौबस्त में समय लगा तत्पश्चात् दिनांक 20.04.2016 को माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

वसीरवी विरूद्व अब्दुल वाहव 1983 जे.एल.जे के न्यायदृष्टांत में स्पष्ट किया गया है कि अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं करना चाहिये एवं न्याय हेतु में मामला गुणा गुण पर विनिश्चत करना चाहिये। अतः आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 में दिया गया विवरण समाधान कारक होने से विलंब क्षमा किये जाने योग्य है।

7- उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि प्रश्नाधीन भूमि जूजू बाल्मीक पुत्र घूमा बाल्मीक को वर्ष 1996 में उक्त खसरा नं. की भूमि पट्टे पर प्रदान की गयी थी। तथा राजस्व अभिलेखो में विधिवत् रूप से भूमि स्वामी दर्ज किया गया था ऐसी स्थिति मे वह भूमि को कलेक्टर की अनुमति के बिना ही विक्रय करने में सक्षम था इस प्रकार के आवेदक एवं जूजू बाल्मीक पुत्र घूमा बाल्मीक आदिवासी वर्ग के नहीं है अतः विक्रय व्यवहार के पूर्व कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रकरण में मुख्य विवाद इस बात का है कि राजस्व अभिलेखो में जूजू बाल्मीक पुत्र घूमा बाल्मीक का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होना था किन्तु आगे शब्द अस्तांतरणीय लिखे जाने के आधार पर आदेश पारित किया है प्रकरण में शिकायत के आधार पर आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलीय प्रकरण में शिकायत के आधार पर कोई कार्यवाही नही की जा सकती आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गयी है ऐसी स्थिति में जबतक सक्षम न्यायालय से विक्रय पत्र शून्य घोषित नही हो जाता तब ऐसी स्थिति में आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखो से हटाये जाने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही

है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थित रखे जाने योग्य नहीं है।

8- उपरोक्त विवेचना के आधार पर में इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि जूजू बाल्मीक बल्द धूमा बाल्मीक को पट्टा प्राप्ती के दिनांक से दस वर्ष की समयावधि बीत जाने के बाद म.प्र. भू-राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधानो के अधीन भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। जिनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पत्र निष्पादन पट्टा प्राप्ती दिनांक से 10 वर्ष की समयावधि व्यतीत होने के बाद किया गया। जिस विक्रय पत्र को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ न्यायालयो द्वारा पारित न्यायदृष्टांतो तर्को से सन्तुष्ट होते हुये यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार कटनी को प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम दर्ज करने के निर्देश दिये जाते है।

आदेश्य